



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 02/2025

दायर दिनांक 24.01.2025

अनवान

01. राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) वादी

बनाम

1. कान्तीबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
2. प्यारीदेवी पत्नि सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भंवरीदेवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. शिवलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सम्पति पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
6. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री पंकज धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

02. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 4, 5

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम



:- निर्णय :-

दिनांक :- 16 / 12 / 2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 24.09.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 166 पर स्थित आराजी नम्बर 597/90 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 90 रकबा 0.0809 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.1618 है 0 भूमि में वादी के 1/6 हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर मिट्टस एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिय गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/2027 दिनांक 12.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादी की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा0 देह रहिन हिस्सा पूर्ण एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू	कल्याणपुरा	90/1	0.0540
	योग		किता 01	0.0540
02	प्यारीदेवी पत्नि सुगनलाल हिस्सा 2/5 जाति धाकड़ सा0 देह भंवरीदेवी पत्नि रमेशचन्द्र हिस्सा 2/5 जाति धाकड़ सा0 देह शिवलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/5 जाति धाकड़ सा0 देह	कल्याणपुरा	90/2 597/90	0.0269 0.0809
	योग		किता 02	0.1078

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जाएगी। पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करें।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 16 / 12 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

दायर दिनांक 24.01.2025

प्रकरण संख्या 02 / 2025

अनवान

01. राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) डिक्रीदार

बनाम

1. कान्तीबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
2. प्यारीदेवी पत्नि सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भंवरीदेवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. शिवलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सम्पति पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
6. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू जिला चित्तौड़गढ (राज0)
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा0टी0एक्ट



निर्णय दिनांक : 16 / 12 / 2025

डिक्री दिनांक : 16 / 12 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री पंकज धाकड़ एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा0 देह रहिन हिस्सा पूर्ण एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बैंगू	कल्याणपुरा	90 / 1	0.0540
	योग		किता 01	0.0540
02	प्यारीदेवी पत्नि सुगनलाल हिस्सा 2/5 जाति धाकड़ सा0 देह भंवरीदेवी पत्नि रमेशचन्द्र हिस्सा 2/5 जाति धाकड़ सा0 देह शिवलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/5 जाति धाकड़ सा0 देह	कल्याणपुरा	90 / 2 597 / 90	0.0269 0.0809
	योग		किता 02	0.1078

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत्
Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूल याबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16..... माह 12..... वर्ष 2025 को
जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज
दिनांक 16 / 12 / 2025 को मुर्तिब की गई।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ()	-		मेहनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीश्नर	-		फीस कमीश्नर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ